संख्या-372/2026/676/22-2-2023-17(1235)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 07 अप्रैल,2026

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मिथलेश पत्नी श्री दौलत निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 15-11-2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी मिथलेश पत्नी श्री दौलत, जो ग्राम-निगुना सिगुना, थाना-टप्पल, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बंदी द्वारा पत्नी को मोटर साइकिल से रक्षाबन्धन पर मायके नहीं जाने दिया इसी विवाद के कारण दिनांक 20.08.2019 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर डन्डा से गला दबाकर अपने पति दौलत की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-680/2019 में भा०द०वि० की धारा- 302/120 बी में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-16, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 06.04.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.05.2022 तक अपरिहार 02 वर्ष, 08 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 11 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मिथलेश (बन्दी संख्या-207/21) पत्नी श्री दौलत निवासी जनपद-अलीगढ़ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-372/2026/676(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।